भारत सरकार
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4253
बुधवार, दिनांक 26 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क</u>

4253. श्री कुंदुरु रघुवीरः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार तेलंगाना ने नलगोंडा जिले में सौर ऊर्जा परियोजनाओं का विस्तार करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हाइब्रिड नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सौर ऊर्जा अपनाने के लिए किसानों को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद येसो नाईक)

(क) सरकार ने तेलंगाना के नलगोंडा जिले सहित देश में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। कार्यशील योजनाओं की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

(ख) वर्तमान में हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्कों के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, अक्षय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियां [आरईआईएः सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (सेकी), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] देश में पवन-सौर हाइब्रिड परियोजनाओं की स्थापना के लिए निविदाएं जारी कर रही हैं।

(ग) सरकार ने किसानों को स्टैंडअलोन सौर पंपों, मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण और अपनी बंजर/अनउपजाऊ/कृषि भूमि पर सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए वित्तीय सहयता प्रदान करने हेतु मार्च, 2019 में प्रधान मंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम- कुसुम) योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तीन घटक हैं:

i. घटक 'क': किसानों द्वारा अपनी भूमि पर 10,000 मेगावाट विकेंद्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड ग्रिड कनेक्टेड सौर या अन्य अक्षय ऊर्जा आधारित विद्युत संयंत्रों की स्थापना;
ii. घटक 'ख': 14 लाख स्टैंडअलोन ऑफ-ग्रिड सौर जल पंपों की स्थापना; तथा
iii. घटक 'ग': फीडर स्तरीय सौरीकरण (एफएलएस) के माध्यम से 35 लाख मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों का सौरीकरण।

अनुलग्नक

'हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क' के संबंध में पूछे गए दिनांक 26.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 4253 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

देश में सौर विद्युत को बढ़ावा देने के लिए कार्यशील योजनाओं की सूची

1. 40,000 मेगावाट क्षमता की स्थापना के लक्ष्य के साथ सौर पार्कों और अल्ट्रा मेगा सौर विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए योजना। इस योजना के तहत भूमि, सड़क, विद्युत निकासी प्रणाली, जल की सुविधाएं जैसी अवसंरचना सभी सांविधिक स्वीकृतियों/अनुमोदनों के साथ विकसित की जाती हैं। इस प्रकार, यह योजना देश में उपयोगिता-स्तर की सौर परियोजनाओं के शीघ्र विकास में मदद करती है।
2. रूफटॉप सौर की स्थापना और एक करोड़ घरों के लिए प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजना।
3. उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूलों (भाग-I और II) में गीगावाट स्तर की उत्पादन क्षमता प्राप्त करने के लिए "राष्ट्रीय उच्च दक्षता सौर पीवी मॉड्यूल कार्यक्रम" नामक उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना।
4. छोटे ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा विद्युत संयंत्रों, स्टैण्ड-अलोन सौर चालित कृषि पंपों और मौजूदा ग्रिड कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण को बढ़ावा देने के लिए पीएम-कुसुम योजना। यह योजना न केवल किसानों के लिए, बल्कि राज्यों और डिस्कॉमों के लिए भी लाभदायक है। राज्यों को कृषि उपभोक्ताओं को बिजली पर दी जा रही सब्सिडी की बचत होगी और डिस्कॉमों को सस्ती सौर विद्युत मिलेगी, जिससे अंत में पारेषण एवं वितरण हानियाँ नहीं होंगी।
5. सरकारी उत्पादकों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए अथवा सरकार/सरकारी संस्थाओं के उपयोग के लिए सीधे अथवा वितरण कंपनियों (डिस्कॉमों) के माध्यम से व्यवहार्यता अंतराल वित्तपोषण (वीजीएफ) सहायता के साथ 12000 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड सौर फोटोवोल्टेक (पीवी) विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसयू) की योजना चरण-II (सरकारी उत्पादक योजना)।
6. ऑफ-ग्रिड सौर लाइटिंग प्रदान करने के प्रावधान के साथ प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) के अंतर्गत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बसाहटों/गांवों के लिए), जहाँ ग्रिड के माध्यम से बिजली की आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

*****